FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0203 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/07/2026 13:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 16/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/07/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/07/2026 13:42:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 115 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PANCHAYAT SAMITI CHAMU, GRAM THADIYA, JILA JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GUMANARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** TEEKURAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1981 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JHAMBESHWAR NAGAR, THADIYA, CHAMU, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JHAMBESHWAR NAGAR, THADIYA, CHAMU, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNARESH MEENA		पिता:RAMFAL MEENA	1. BIRUNDA,MAHUWA,DAUSA,RA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपूर ग्रामीण विषयः- कार्यवाही कराने हेतु महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मै गुमानाराम पुत्र टीकू राम उम्र 45 वर्श जाति मेघवाल निवासी जम्भेश्वर नगर, ठाडिया, चामू, जोधपुर, राजस्थान की अर्ज इस प्रकार है कि मेरी पत्नी श्रीमती भूरी देवी के नाम पी.एम. आवास योजना में एक आवास स्वीकृत हुआ था जिसका नियमानुसार मकान बनाना शुरू किया तब श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके का फोटो खींचा था तत्पश्चात पहली किस्त 2024 में मेरी पत्नी के खाता संख्या 11960110052150 में 15,000 /- रूपये आये थे उस समय भी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 1,000/- रूपये रोकड़ लिये थे, 1,000/- रूपये देने के बाद एवं विनती करने पर उपरोक्त राशि खाते में डाली थी मेरा मकान के छिपणा तक का काम होने पर दूसरी किस्त के समय श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 12,000/- रोकड़ लिये तत्पश्चात 45,000/- मेरे पत्नी के खाते में डाले थे अब वर्तमान में मकान पूर्ण हो चुका है अंतिम किस्त बाकी है जिस हेतू मैने श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी से सम्पर्क किया तो ग्रामसेवक द्वारा कहा गया कि 35,00/- रूपये दोगे तभी मै फोटो खींचूगा और किस्त अप्रुव करूंगा। मै मेरे जायज कार्य के लिये ग्रामसेवक को रिश्वती नही देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हॅू। मेरा श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी से कोई लेन-देन बकाया नही है मेरी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी से कोई आपसी रंजिश नही है प्रार्थना पत्र मय आधार कार्ड प्रस्तुत कर रहा हॅू कार्यवाही करावे। दिनांक 14.07..2026 भवदीय एसडी गुमानाराम पुत्र टीकूराम निवासी जम्भेश्वर नगर ठाडिया, चामू जोधपुर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस इस समय परिवादी श्री गुमानाराम पुत्र श्री टीकुराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी जम्भेश्वर नगर गांव ठाडिया तहसील चामू जिला जोधपुर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। दरयाफ्त पर बताया कि मेरी पत्नी श्रीमति भूरी देवी के नाम पी.एम आवास योजना में एक आवास स्वीकृत हुआ था पी.एम. आवास योजना में स्वीकृत मकान की तीसरी किस्त स्वीकृत करने एवं मकान का फोटो खिंचने के एवज में ग्राम विकास अधिकारी श्री रामनरेश मीणा द्वारा 35,00/- रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही है । मजमून से रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया के विरूद्ध मामला भ्र.नि.अधिनियम (पी.सी. एक्ट 1988) यथा संशोधित 2018 का पाये जाने से रिश्वत मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 12.10 पी.एम.पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री भीम सिंह कानि. 446 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री भीम सिंह कानि. 446 से परिवादी श्री गुमानाराम का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री गुमानाराम एवं श्री भीम सिंह कानि. 446 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी श्री गुमानाराम एवं श्री भीम सिंह कानि. 446 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। वक्त 12.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री भीमसिंह कानि. 446 को सुपुर्द कर श्री भीमसिंह को हिदायत दी गई कि ग्राम पंचायत ठाडिया से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री गुमानाराम को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करवाकर लाने हेतु परिवादी के साथ ठाडिया के लिये रवाना किया। वक्त 06.30 पी.एम.पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री भीम सिंह कानि. 446 ने कॉल कर बताया कि मैं व परिवादी श्री गुमानाराम कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस ग्राम देचु पहुंचे मैने परिवादी को आरोपी की उपस्थिति के बारे में पता करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने मोबाईल से कॉल कर पता कर बताया कि ग्रामसेवक अभी ग्राम पंचायत ठाडिया में है और उसने कहा है कि आप देचु ही रूको मै वहीं आ रहा हॅ देचु आकर आपको कॉल करता हॅू। जिस मै व परिवादी श्री गुमानाराम संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी के आने इंतजार में देचु में उपस्थित रहे। कुछ समय पश्चात सदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी श्री गुमानाराम को जरिये मोबाईल फोन कर बताया मै पीपली चौराहा देचु आ गया हॅू आप आ जाओ, जिस पर मैने परिवादी श्री गुमानाराम को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड ऑन कर परिवादी श्री गुमानाराम सुपुर्द कर परिवादी को श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता करने हेतु पीपली चौराहा देचु की तरफ पैदल ही रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री

गुमानाराम मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वायॅस रिकार्डर अपनी जेब से निकाल कर चालु हालत में मुझे सुपर्द किया जिस पर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर मै पीपली चौराहा पर पहुंचा जहां पर मुझे श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ने मेरी पत्नी के पीएम आवास योजना में स्वीकृत मकान में तीसरी किस्त स्वीकृत करने की एवज में 3500/- रूपये की मांग की तथा कल सुबह मकान का फोटो खिंचने का कहा है तब मैने कहा कि मेरे ससुराल में विवाह है तो कल मे ससुराल में जाउंगा जिस पर श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ने कॉल करके आने का कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीम सिंह कानि. 446 को निर्देशित किया कि परिवादी श्री गुमानाराम को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर सुचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। दिनांक 14.07.2026 वक्त 10.00 पी.एम. पर श्री भीम सिंह कानि. 446 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच ऑफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया द्वारा परिवादी से उनकी पत्नी श्रीमती भूरी देवी के नाम पी.एम. आवास योजना में स्वीकृत मकान की तीसरी किस्त स्वीकृत करने एवं मकान का फोटो खिंचने की एवज में दौराने मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री गुमानाराम से रिष्वत राषि की 35,00/- रूपये रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर को स्विच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। वक्त 04.27 पी.एम. पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गुमानाराम के मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी श्री गुमानाराम ने बताया कि मेरे पास श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है तथा श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी कल दिनांक 16.07.2026 को ग्राम देचु में अपने अस्थाई निवास पर उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 16.07.2026 को 8.00 ए.एम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 35,00/ रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। वक्तः- 04.30 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन जोधपुर के नाम से पत्र क्रमांक 934 दिनांक 15.07.2026 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री ओमप्रकाश कानि 260 को उक्त पत्र सुपुर्द कर रवाना कर हिदायत दी गई की स्वतंत्र गवाह को कल दिनांक 16.07.2026 को प्रातः 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करवाकर उपस्थित आवे। वक्त 05.30 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का गया हुआ श्री ओमप्रकाश कानि. 260 कार्यालय में उपस्थित आकर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि कार्यालय श्रीमान संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन जोधपुर पहुंच कार्यालय हाजा का पत्र क्रमांक 934 दिनांक 15.07.2026 को पेश कर दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया तो श्रीमान द्वारा गवाह श्री प्रतापसिंह चौहान पुत्र श्री रतनसिंह चौहान उम्र 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी बी 33 यु0 आई0 टी0 कॉलोनी प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9530179548 श्री महेष पणिया पुत्र श्री ताराचन्द्र पणिया उम्र 58 वर्ष जाति बा्रहम्ण निवासी मकान न. 5-एफ-82 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना कुडी भगतासनी हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर मोबाईल नम्बर को कल दिनांक 16.07.2026 को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है। वक्त 06.00 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल श्री किशन सिंह उप अधीक्षक पुलिस भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर को दो कार्मिको को पाबंद कर कल दिनांक 16.07.2026 को वक्त 9.00 एएम को इस कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया । वक्त 06.20 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल श्री भूपेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो फलोदी को श्री बचनाराम कानि. 446 को पाबंद कर कल दिनांक 16.07.2026 को वक्त 9.00 एएम को इस कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया । दिनांक 16.07.2026 वक्त 08.30 ए.एम पूर्व से पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री प्रतापसिंह चौहान पुत्र श्री रतनसिंह चौहान उम्र 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी बी 33 यु0 आई0 टी0 कॉलोनी प्रतापनगर पुलिस थाना प्रतापनगर जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर, मोबाईल नम्बर एवं श्री महेश पणिया पुत्र श्री ताराचन्द्र पणिया उम्र 58 वर्ष जाति बा्रहम्ण निवासी मकान न. 5-एफ-82 कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना कुडी भगतासनी हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। जिनको बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया। तथा कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत की गई। वक्त 9.00 एएम पूर्व से पाबंद सूदा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर से दो कार्मिक श्री अमित कुमार कानि. 270 एवं श्री मुकेश कुमार कानि.

406 कार्यालय में उपस्थित आये। वक्त 9.30 एएम इस समय पूर्व से पाबंद सूदा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो फलोदी से श्री बचनाराम कानि. 447 कार्यालय में उपस्थित आये। वक्त 9.45 ए.एम पर परिवादी श्री गुमानाराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस को बताया कि मै आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 35,00/ रूपये लेकर उपस्थित आया हूं। वक्त 9.55 ए.एम पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री गुमानाराम एवं उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री गुमानाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा .ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर टे्प कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 10.25 ए.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री गुमानाराम पुत्र श्री टीकुराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी जम्भेश्वर नगर ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 35,00/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 07 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है-1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2LG 727343, 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4BV 637648, 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7QB 260573, 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5GQ 440824, 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1GV 767049, 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3DS 434289, 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2CL 837453 मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 35,00/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 35,00/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री गुमानाराम के पहने हुए शर्ट के सामने की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. से मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व टे्प पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को कार्यालय के बाहर कार्यालय परिसर में रूबरू गवाहान के श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास

स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास आकस्मिक खर्च के 5150/- रू0 रहने दिये गये, अन्य किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमारी कार्ड में श्री अमित कुमार कानि. 270 से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। वक्त 11.00 पी.एम.पर अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 व परिवादी श्री गुमानाराम मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से देचु की तरफ रवाना हुए। वक्त 12.30 पी.एम.पर अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिश्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 व परिवादी श्री गुमानाराम मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन के उपरोक्त फिकरा के रवाना षुदा कस्बा देचु से थोड़ा पहले पहॅुच परिवादी श्री गुमानाराम से आरोपी श्री रामनरेश मीणा उपस्थित मालूमात करने हेतु कहा गया। वक्त 12.50 पी.एम. पर परिवादी श्री गुमानाराम ने आरोपी से जरिये मोबाईल वार्ता कर मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ने बताया है कि मै आधा घंटे में मेरे घर पर आने का कहा है। वक्त 01.00 पी.एम. पर परिवादी की आरोपी से हुई वार्ता अनुसार कार्यवाही परिवादी के घर पर किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिश्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन के ग्राम जम्भेश्वर नगर ठाडिया के लिये रवाना हुए। वक्त 1.32 पी.एम. पर मन् श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन नं के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम जम्भेश्वर नगर ठाडिया में परिवादी के घर के पास पहुंच कर वाहनो को गोपनीय रूप से खड़े करवाकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीम सिंह कानि. 446 एवं श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को हिदायत कर परिवादी श्री गुमना राम के साथ परिवादी साथ कानि श्री भीम सिंह को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में नया मास्टर कम्पनी का 4जीबी का मैमेारी कार्ड डालकर सुपुर्द कर हिदायत की गई की आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी के आने से थोड़ा पहले डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को देवे तथा आप वहीं गोपनीय रूप से खड़े रहे एवं परिवादी के गोपनीय इशारे होते ही तुरंत मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावे मन् निरीक्षक पुलिस

अनिल कुमार मय स्वतन्‍्त्र गवाहान एंवम ब्यूरो जाब्ता के अलग-अलग वाहनो में गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। वक्त 2.30 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री गुमानाराम ने कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि मैने आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी को कॉल किया तो श्री रामनरेश मीणा कॉल नही उठा रहे हैं तथा श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया में मिल सकते है। वक्त 3.00 पी.एम. पर परिवादी के बतायेअनुसार संदिग्ध आरोपी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया परिवादी के परिवादी का कॉल नही उठाने एवं आरोपी ग्राम पंचायत में ही उपस्थित होने की सम्भावना के मध्यनजर ट्रेप कार्यवाही ग्राम पंचायत ठाडिया में किये जाने का निर्णय लिया जाकर श्री भीम सिंह कानि. 446 श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को परिवादी श्री गुमानाराम को हिदायत कर रवाना किया गया कि आप ग्राम पंचायत ठाडिया से थोड़ा पहले गोपनीय स्थान पर मिलने हिदायत कर परिवादी की मोटरसाईकिल से ग्राम पंचायत ठाडिया की तरफ रवाना रवाना कर मन निरीक्षक श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन नं के ग्राम पंचायत ठाडिया के रवाना हुए। वक्त 3.30 पी.एम. पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेष पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, परिवादी श्री गुमानाराम एवं संदिग्ध आरोपी श्री रामनरेश मीणा के मध्य हुई दिनांक 14.07.2026 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता का मास्टर कम्पनी का 8 जीबी का मूल मैमोरी कार्ड एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवणराम कानि. चालक एवं निजी वाहन नं के उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ग्राम पंचायत ठाडिया से थोड़े पहले रोड के साईड के किनारे गोपनीय स्थान पर परिवादी श्री गुमानाराम, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि. 260 उपस्थित मिले। वाहनो को गोपनीय रूप से खड़े करवाकर परिवादी को गोपनीय इशारा से पुनः समझाईश कर कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर कानि श्री भीम सिंह से परिवादी को सुपुर्द करवाया जाकर रिश्वती राशि लेन-देन हेतु परिवादी को ग्राम पंचायत ठाडिया की तरफ रवाना किया गया। कानि. श्री भीम सिंह 446 एवं श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को परिवादी के पिछे पिछे गोपनियता बरतने की हिदातय कर रवाना किया गया। मन निरीक्षक पुलिस एवं अन्य ब्यूरो जाब्ता गोपनीय रूप से वाहनो में बैठे गोपनीय इशारा का इंतजार किया । वक्त 4.30 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू वक्त 04.05 पी.एम पर परिवादी श्री गुमानाराम ने पूर्व निर्धारित अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणियाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय जरिये सरकारी वाहन चालक श्रवण कुमार कानि. चालक 510 एंव मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से हमराह लेकर ग्राम पंचायत ठाडिया के गेट पर पहुंचे तो परिवादी श्री गुमानाराम ग्राम पंचायत ठाडिया के गेट पर खडा मिला जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान परिवादी गुमानाराम ने ग्राम पंचायत भवन ठाडिया के अन्दर कमरे में बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी हैं जिन्होने अभी मेरे से ग्राम पंचायत ठाडिया के अन्दर बने कमरे में मेरे से मांग कर 3,500/- रुपये प्राप्त कर, गिनकर अपने पहनी हुई पैन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखे हैं। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के ग्राम पंचायत ठाडिया के अन्दर कमरे में प्रवेश किया तथा ग्राम पंचायत ठाडिया के कमरे में कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला उक्त कमरे में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस, मय दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम की तरफ ईशारा कर श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को पूछा गया कि आप इसे जानते हो जिस पर श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने रुबरु गवाहान के बताया कि यह श्री गुमानाराम हैं। जिस पर मन निरीक्षक

पुलिस द्वारा श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी से पूछा गया कि आपने अभी-अभी परिवादी श्री गुमानाराम से 3,500 रूपये की राशि प्राप्त की हैं तथा परिवादी गुमानाराम से राषि किस बाबत प्राप्त की के बारे में पूछने पर श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मैने परिवादी गुमानाराम से किसी प्रकार की राषि प्राप्त नही की है, तथा इनके तो किस्त आ रखी है। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पास ही खडे परिवादी श्री गुमानाराम से श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राशि किस बाबत ली गई के बारे में पूछा गया तो परिवादी गुमानाराम ने बताया कि यह झूठ बोल रहा है। परिवादी श्री गुमानाराम ने बताया कि मेरी पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम पी.एम. आवास योजना में एक आवास स्वीकृत हुआ था जिसका नियमानुसार मकान बनाना शुरू किया तब ग्रामसेवक श्री रामनरेश मीना द्वारा मौके का फेाटेा खींचा गया था तत्पश्चात पहली किस्त 2024 में मेरी पत्नी के खाते में 15,000/- रूपये आये थे उस समय भी ग्रामसेवक श्री रामनरेश मीना द्वारा 1,000/- रूपये रोकड लिये थे 1,000 रूपये देने के बाद एवं विनती करने पर उपरोक्त राशि खाते में डाली थी। मेरे मकान के दूसरी किस्त के समय ग्राम सेवक श्री रामनरेश मीना द्वारा 12,000 रूपये रोकड लिये थे। उसके बाद किस्त के 45,000/- रूपये मेरी पत्नी के खाते में डाले थे अब मकान पूर्ण हो चूका है अंतिम किस्त बाकी है अंतिम एव तीसरी किस्त हेतु मैने ग्राम सेवक श्री रामनरेश मीना से सम्पर्क किया तो ग्राम सेवक द्वारा कहा गया कि 3,500 रूपये दोगे तभी मै फोटो खींचूगा और अगली तीसरी किस्त अप्रूव करूगां। जिस पर आज श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पत्नी के नाम से पी.एम. आवास योजना में स्वीकृत मकान की तीसरी किस्त स्वीकृत करने एवं मकान का फोटो खिंचने के एवज में 3,500 रूपये मांग कर, प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 07 नोट कुल 3,500/- रुपये रिश्वति राशि होना पाये गये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी से मिलान करने पर मिलान होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि 3,500 रूपये के अतिरिक्त आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के 09 नोट कुल 4,500/-रूपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वती राशि के अलावा अतिरिक्त राषि 4500/- रूपये के बारे में पूछने पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी नें बताया कि ये अतिरिक्त राशि 4500/- रूपये मेरे निजी खर्चे के है जो मै घर से आया था तब खर्चे के लिए साथ में लेकर आया था। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त रिश्वती राशि 3,500 रूपये एवं रिश्वती राशि के अलावा अतिरिक्त राशि 45,00 रूपये स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखने हेतु कहा गया तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। चूंकि उक्त स्थान आरोपी ग्राम विकास अधिकारी का कार्यस्थल ग्राम पंचायत भवन होने व आबाद गांव एंव मुख्य सडक पर होकर ग्राम पंचायत के बाहर भीड होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना देचू मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को यथा स्थिति में ही सरकारी बोलेरो वाहन में बैठाकर, मन निरीक्षक पुलिस, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, ब् ब्यूरो जाब्ता अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406 मय जरिये सरकारी वाहन चालक श्रवण कुमार कानि. चालक 510 एंव मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से ग्राम पंचायत भवन ठाडिया से रवाना होकर पुलिस थाना देचू पहुचा। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा थाना हाजा मे उपस्थित श्री विक्रम सान्दू निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना देचू को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे पुलिस थाना देचू के कैम्पर से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर थोडा हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने थोडा हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त थोडा हल्का गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियों मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को भी दो साफ कांच की षिषियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामनरेश

मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनने हेतु एक लॉवर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उक्त लॉवर को पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर पुलिस थाना देचू के कैम्पर से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में रिष्वति राषि बरामदगी स्थल आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई उक्त पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गहरा गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया गया तथा उक्त पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क- P अंकित किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 07 नोट कुल 3500/- रूपये रिश्वती राशि जो पूर्व से स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक के पास सुरक्षित रखी गई, उक्त रिश्वती राशि 3500/-रूपये स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक से पुनः गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 07 नोट कुल 3500/- रूपये रिश्वती राशि होना पाये गये। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री महेश पणियॉ को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि 3500/- रूपये देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त बरामद रिश्वती राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुनः तस्सली पूर्वक श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी पुनः पूछा गया कि आपने परिवादी गुमानाराम से पैसे किस बात के लिये के बारे मे पूछने पर श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि मैनें परिवादी गुमानाराम से उसके पत्नी के नाम से स्वीकृत आवास के शिलालेख पट्टिका बनवाने के लिये दिये थे। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी गुमानाराम से आरोपी को पैसे किस बात के दिये के बारे में पूछने पर परिवादी गुमानाराम ने बताया कि यह झूठ बोल रहे है आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने मेरी पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम से पी.एम. आवास योजना के तहत वर्श 2024 में स्वीकृत आवास की तीसरी किस्त डालने एवं मकान का फोटो खीचने के लिये रिश्वती राशि के रूप में 3500/- रूपये आज मेरे से प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे थे। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक से आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पास पूर्व में बरामद रिश्वती राशि 3500 रूपये एव रिश्वती राशि के अलावा 4500 रूपये की अतिरिक्त राशि के अलावा आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पास एक ONE PLUS NORD CE3 5G कम्पनी का मोबाईल मिला जिसके मॉडल नम्बर CPH2569 है उक्त मोबाईल में एक जिओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर तथा दूसरी एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर है। आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब रिश्वती राशि 3500 रूपये से अतिरिक्त 500-500 रूपये के 9 नोट कुल 4500 रूपये की अतिरिक्त राशि पाई गई जिस पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी से उक्त 4500 रूपये की अतिरिक्त राशि के बारे में पुनः पूछा गया तो श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने उक्त 4500 रूपये की अतिरिक्त राशि अपने खर्चे के होकर घर से आते वक्त अपने खर्चे के साथ में लाना बताया जिस पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी का जबाब सन्तोप्रद होने पर रिश्वती राशि के अलावा आरोपी के पास से प्राप्त 4500 रूपये की अतिरिक्त राशि एवं ONE PLUS NORD CE3 5G कम्पनी का मोबाईल पुलिस थाना देचू में उपस्थित आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी की पत्नी श्रीमती रविना मीना को सुपर्द किया गया। परिवादी श्री गुमानाराम कि पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम पी.एम. आवास योजना के तहत वर्श 2024 में स्वीकृत आवास के सम्बन्ध में परिवादी के कार्य से सम्बधित किसी प्रकार के दस्तावेज के बारे में आरोपी श्री रामनरेश मीना को पूछने पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि परिवादी श्री गुमानाराम कि पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम पी.एम. आवास योजना के तहत वर्ष 2024 में स्वीकृत आवास एवं परिवादी श्री गुमानाराम के कार्य से सम्बधित कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम कि पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम पी.एम. आवास योजना के तहत वर्श 2024 में स्वीकृत आवास से सम्बधित रिकार्ड प्राप्त करने हेतु एवं आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी का सेवा विवरण प्राप्त करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर के नाम पत्र जारी किया गया। ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वती राशि 3500/- रूपये, आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के दोनों हाथो के धोवन की शीषीयां, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के धोवन की शीशीयां एवं आरोपी की पेन्ट को कपड़े

के पैकेट में डालकर सील मोहर किया गया। आरोपी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम की पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम से पी.एम. आवास योजना के तहत वर्श 2024 में स्वीकृत मकान की तीसरी किस्त स्वीकृत करने एवं मकान का फोटो खिंचने के एवज में दिनांक 14.07.2026 को परिवादी गुमानाराम से, 3500/- रुपये वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान रिश्वती राशि की मांग करना तथा आज दिनांक 16.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम से वक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान 3500/- रूपये रिश्वती राशि मांग कर प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहाँ से रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के 3500/- रूपये रिश्वती राशि बरामद होना एवं आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के दोनों हाथो एवं रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब के लिये धोवन क्रमश थोडा हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी एव गहरा गुलाबी प्राप्त होना पाया जाने से आरोपी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जूर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया जावेगा। घटना स्थल का नक्षा व हालात मौका अलग से तैयार किया जायेगा। फर्द बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी फोन में लगे मैमोरी कार्ड में श्री अमित कुमार कानि. 270 से करवाई गई। उक्त विडियोग्राफी का आईन्दा मैमोरी कार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 6.00 पी.एम. पर इस समय आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडया का सेवा विवरण एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकॉर्ड हेतु श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति चामु के नाम के नाम पत्र जारी कर विकास अधिकारी पंचायत समिति चामु को प्रेषित किया गया एवं जरिये फोन सूचित किया गया। वक्त 6.05 पी.एम इस समय मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, लॉवर का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं आरोपी श्री रामनरेश मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया को श्री संजय कानि. 587 एवं शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परिवादी श्री गुमानाराम, तथा ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. 61 मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री श्रवण राम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु घटनास्थल ग्राम पंचायत ठाडिया के लिये रवाना हुआ। वक्त 6.45 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के फिगरा उपरोक्त का रवाना सुदा घटनास्थल ग्राम पंचायत ठाडिया पहुंच कर परिवादी श्री गुमानाराम की निशोदही से रुबरु गवाहान के फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री अचलाराम हैड कानि. श्री संजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13 श्री बचनाराम कानि. 447 मय सरकारी वाहन चालक श्री श्रवण कुमार के चामु रोड पर करीबन 150 मीटर, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री भीमसिंह कानि. 446 की घटनास्थल से लगभग 40 मीटर की दुरी पर स्थित होना दर्षायी गई है फर्द नक्षा मौका अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान रोशनी की पूर्ण व्यवस्था थी ताबाद मन निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री अचलाराम हैड कानि. परिवादी श्री गुमानाराम, मय सरकारी वाहन बोलेरो व चालक श्री श्रवण कुमार के पुलिस थाना देचु पहुच कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, लॉवर का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रादर्श एवं आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को स्वंय के जिम्मे लिया गया। वक्त 7.15 पी.एम. पर श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल उम्र 32 जाति मीना निवासी ग्राम बिरोंदा तहसील महुआ जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया की गई पूछताछ एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम से उसके पीएम आवास योजना में परिवादी की पत्नी श्रीमती भुरी देवी के नाम स्वीकृत आवास की तीसरी किस्त जारी करने की एवज में दिनांक 14.07.2026 को 35,00/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रामनरेश मीना द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम से 35,00/- रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुए लॉवर की पिछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल उम्र 32 जाति मीना

निवासी ग्राम बिरोंदा तहसील महुआ जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी के आधार की फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 7.45 पी.एम पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति ठाडिया का सेवा विवरण एवं परिवादी की पत्नी श्रीमती भुरी देवी के पीएम आवास योजना में स्वीकृत आवास से सम्बन्धित कागजात लेकर पंचायत समिति चामु से श्री माणकराम चौधरी उपस्थित आया तथा उपरोक्त कागजात मन निरीक्षक पुलिस को पेश किया जिसको शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 8.00 पी.एम पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री गुमानाराम पुत्र श्री टीकुराम उम्र 45 वर्ष जाति मेघवाल निवासी जम्भेश्वर नगर ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर एवं आरोपी रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 14.07.2026 को हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त 8 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे रिष्वति राषि वक्त लेन-देन के मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर से बाहर निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास अपनी अभिरक्षा मे रखा तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के 8 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में डालकर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री गुमानाराम के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मांग सत्यापन 8 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेप-टॉप से जोडकर लेप-टॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द ब शब्द श्री भीमसिंह कानि0 446 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर एवं परिवादी स्वयं एवं अन्य व्यक्ति जगदीश की आवाज की पहचान परिवादी श्री गुमानाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय 8 जी.बी लगे मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड के श्री भीमसिंह कानि. 446 से कार्यालय के लेप-टॉप मे कॉपी करवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जी.बी मास्टर कम्पनी के मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दोनों मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन के उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वायॅस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त मूल मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी श्री गुमानाराम के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त शील्डसुदा मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स किया गया। वक्त 9.50 पी.एम पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी का मेडिकल मुआयना करवाने हेतु ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. 61 श्री मुकेश कानि. 406, श्री अमित कुमार कानि. 270 को आरोपी का चिकित्सा परीक्षण करवाये जाने हेतु राजकीय चिकित्सालय देचु रवाना किया। वक्त 10.20 पी.एम पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री मुकेश कानि. 406, श्री अमित कुमार कानि. 270 मय आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी का मेडिकल मुआयना करवाने हेतु ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. 61 श्री श्री मुकेश कानि. 406, श्री अमित कुमार कानि. 270 उपरोक्त फिकरा के गये हुए आरोपी का का चिकित्सा परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर लाये परीक्षण रिपोर्ट शामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 10.30 पी.एम पर इस समय मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री गुमानाराम एवं आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया के मध्य दिनांक 16.07.2026 को हुई रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी, उक्त रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा से बाहर निकाल कर रूबरू गवाहान एवं परिवादी श्री गुमनाराम के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मंे रिष्वति राषि वक्त लेन-देन रूबरू वार्ता के उक्त 4 जी.बी मास्टर माइक्रो एसडी मूल मैमोरी कार्ड को मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर लेपटॉप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुर-सुन कर श्री भीम सिंह कानि. 446 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर शामिल रनिग नोट की गई आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री गुमनाराम द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे 4 जीबी मास्टर माईक्रो एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप के उक्त मूल मैमोरी कार्ड लगे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को श्री भीम सिंह कानि. 446 से कार्यालय के लेप-टॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री भीम सिंह कानि. 446 से कॉपी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टॉप की मदद से दो अन्य 4 जीबी के मैमोरी कार्ड तैयार करवाये गये। उक्त दोनो मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया

गया रिश्वती राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप के मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में से बाहर निकाल कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा मूल मैमोरी कार्ड को रूबरू गवाहान व परिवादी श्री गुमानाराम के एक कपड़े की थैली में डलवाकर थैली के मुंह की सिलाई करवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांकः-17.07.2026 वक्त 01.00 ए.एम पर आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया अल्पवेतन धारी कर्मचारी होने एवं कस्बा देचु में किराये के मकान पर रहने के कारण खाना तलाशी लिये जाने का निर्णय लिया जाकर उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। वक्त 04.00 ए.एम पर श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 260 श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406, स्वतंत्र गवाह श्री महेश कुमार पणियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय सरकारी वाहन नं. आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवण राम मय आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी के रवाना कर श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को थानाधिकारी पुलिस थाना कुड़ी के नाम तहरीर देकर हिदायत की गई कि आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना कुड़ी में सुरक्षार्थ जमा करवाकर कार्यालय उपस्थित आवे। तथा मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाह श्री संजय कानि. 587, श्री भीम सिंह कानि. 446 श्री रामकिषोर कानि. 13 स्वतंत्र गवाह श्री प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, परिवादी श्री गुमानाराम मय ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुये पंेट के पिछे की दाहिनी जेब लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2 LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेंट का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 35,00/- रुपये एवं दिनांक 14.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री गुमानाराम रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड एवं दो डब मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय दिनांक 16.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री गुमानाराम के मध्य हुई रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड व दो डब मैमोरी कार्ड, ट्रेप कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय आरोपी का सेवा विवरण ट्रेप बॉक्स मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर के निजी वाहन से पुलिस थाना देचु से एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण को रवाना हुआ। वक्तः-07.00 ए. एम पर मन् मन अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाह श्री संजय कानि. 587, श्री भीम सिंह कानि. 446 श्री रामकिशोर कानि. 13 स्वतंत्र गवाह श्री प्रताप सिंह वरिष्ठ सहायक, परिवादी श्री गुमानाराम पहुंचे इसी दरम्यान श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री ओमप्रकाश कानि. 260 श्री अमित कुमार कानि. 270, श्री मुकेश कुमार कानि. 406, स्वतंत्र गवाह श्री महेश कुमार पणियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय सरकारी वाहन नं. आरजे 14 यूएल 5813 मय चालक श्री श्रवण राम के उपरोक्त फिकरा के रवाना षुदा पुलिस थाना कुडी भगतासनी में आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाने की हावालात में जमा करवाकर रोजनामचा रपट की प्रति प्राप्त कर उपस्थित आये एवं रोजनामचा रपट प्रति सुपुर्द की। रोजनामचा रपट षामिल रनिग की गई मय जब्त शुदा आर्टिकल व ट्रेप सामग्री के प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया के दोनो हाथो एवं उनके पहने हुये पेंट के पिछे की दाहिनी जेब लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2 LH-1, LH-2, P-1, P-2 एवं पेंट का शील्डसुदा पैकेट मार्क- P एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 35,00/- रुपये एवं दिनांक 14.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री गुमानाराम रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा पैकेट एवं दो डब मैमोरी कार्ड एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय दिनांक 16.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री गुमानाराम के मध्य हुई रिश्वत राशि वक्त लेन-देन रूबरू वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड शील्ड शुदा पैकेट व दो डब मैमोरी कार्ड मालखाना श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया गया वक्तः- 11.30 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री प्रतापसिंह वरिष्ठ सहायक, श्री महेश पणियां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बाद गोपनीय कार्यवाही के रूखस्त किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेषा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री गुमानाराम से से उसकी पत्नी श्रीमती भूरीदेवी के नाम से पी.एम. आवाज योजना के तहत वर्श 2024 में स्वीकृत मकान की तीसरी किस्त स्वीकृत करने एवं मकान का फोटो खिंचने के एवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 14.07.2026 को आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 35,00/- रूपये रिश्वती राशि की मांग की गई थी तथा मांग के अनुसरण में दिनांक 16.07.2026 को वक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी गुमानाराम से 35,00/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से रूबरू गवाहान के रिश्वती राशि 35,00/- रूपये बरामद की गई। श्री रामनरेश मीना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी गुमानाराम से 35,00/- रूपये रिश्वती राशि की मांग करना एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा 35,00/- रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखना जहां से

रूबरू गवाहान रिश्वती राशि बरामद होना तथा आरोपी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेषा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर के दोनो हाथो का धोवन क्रमश दाहिने हाथ का धोवन थोड़ा हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी के पहने हुए पेन्ट जिसमें परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर लोवर की पीछे की दाहिनी जेब में रखी थी, जहां से रिश्वती राशिबरामद हुई जिसकी जेब का धोवन गहरा गुलाबी आना उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। (अनिल कुमार) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामनरेश मीना पुत्र श्री रामफल मीना जाति मीना उम्र 32 साल पेशा नौकरी निवासी ग्राम बिरोन्दा तहसील महुवा पुलिस थाना महुवा जिला दौसा हाल ग्राम विकास अधिकारी ठाडिया पंचायत समिति चामू जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह चारण, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, जोधपुर शहर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 327 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1201-04 दिनांक 19.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- विकास अधिकारी, पंचायत समिति चामू, जिला जोधपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/07/2026 13:45:28

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)